

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय), जयपुर

दोस संख्या: 71/79/2024

उत्तरदान:- जगदीश बनानाम जगदीश व अ-प

20/11/24

पत्रावली पेज 221 पक्षील-ग्राफी उपलब्ध
 पक्षील-ग्राफी की वलम गं पर सुनी गरी
 वलम सुनी जाकर प्रपत्र गं का मय मूलका
 अवलोकन किया गया। मूलका के निस्तारण
 तक वाइशुस्त आराजीपात को रेसिनेत बनने
 रखना उचित समझते है जिनके बाद काइल्यत
 ना बरे। मल ग्राफीका प्रपत्र गं स्वीकार
 किया जाकर दिनांक 18/6/8 को जारी अंतरिम
 अल्पारि निषेधाज्ञा को कं-कमि किया जाकर
 प्रवर्धनों को जरिये अल्पारि निषेधाज्ञा के धीमे
 किया जात है कि मूलका के निस्तारण तक
 वाइशुस्त आराजीपात खपत नं 413 रकम
 048 है वाडे गाम चतरपुरा चतरा टल्का
 कापुरा अ. म. नि. ने. मूलका तदपीस लोअने
 जिला जपुस रिनित के कोडे वी अन्वित्ति
 बनने रहे। पत्रावली नैमल सुगाट हीकर
 उपरि नैवा खे कम होकर दाखिल रहत है।
 निर्णय आज दिनांक 20/11/24 को लिखापा
 जाकर लते अन्तगत सुगापा गया।

सहायक कलक्टर
 जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर